प्रेस प्रकाशनी

22-03-2022

इस्पात मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2022-23)" के संबंध में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सभापति तथा संसद सदस्य श्री राकेश सिंह ने 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में इस्पात मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2022-23)" संबंधी समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<u>सरकार से न केवल आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में, बल्कि ग्रामीण आवास और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में इस्पात की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए इस्पात क्षेत्र को सक्षम बनाने की व्यापक योजना लेकर आने को कहा गया।</u>	**समिति ने यह नोट किया है कि इस्पात मंत्रालय का समग्र बजटीय आवंटन यह दर्शाता है कि हाल के विगत काल में यह आवंटन अपेक्षाकृत अधोगामी रहा है। वित्त वर्ष *2019-20* के दौरान मंत्रालय को बजट अनुमान के स्तर पर *241.29* करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जिन्हें संशोधित अनुमान *(आरई)* के स्तर पर घटाकर *196.08* करोड़ रूपए कर दिया गया और अंततोगत्वा असल में *194.33* करोड़ रूपए खर्च किए गए। वित्त वर्ष *2020-21* के दौरान मंत्रालय को बजट अनुमान के स्तर पर केवल *100* करोड़ रूपए आवंटित**

	किए गए और *31.03.2021* तक असल में *74.31* करोड़ रूपए खर्च किए गए। इसी तरह, वित्त वर्ष *2021-22* के दौरान बजट आवंटन को आगे और घटाकर *39.25* करोड़ रूपए कर दिया गया जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर *43* करोड़ रूपए कर दिया गया जिसका कारण शीर्ष- सचिवालय आर्थिक सेवा के तहत राजस्व व्यय में वृद्धि का; अर्थात *32.78* करोड़ रूपए से बढ़कर *36.73* करोड़ रूपए का होना था। हालांकि, यह बताया गया है कि *10.02.2022* तक वास्तविक व्यय *31.91* करोड़ रूपए रहा है। समिति ने आगे यह भी नोट किया है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष *2022-23* में मांग सं. *97* के तहत *47* करोड़ रूपए आवंटित किए हैं; लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन योजना के लिए *4.49* करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं, *40.51* करोड़ रूपए स्थापना व्यय-सचिवालय आर्थिक सेवा के लिए और *2* करोड़ रूपए केंद्रीय क्षेत्र की 'ऐडवरटाइजिंग पब्लिसिटी *(ईसी)*, कॉन्ट्रीब्यूशन *(ओईसीडी मेम्बरशिप)* अवार्ड्स टु डिस्टिंगिस्ड मेटलर्जिस्ट्स' आदि जैसी योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि वित्त वर्ष *2022-23* में *47* करोड़ रूपए का यह पूरा बजट केवल राजस्व व्यय के लिए होगा; जैसाकि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात उपक्रमों का वित्तपोषण आईईबीआर से ही होता है। अतः समिति ने सिफारिश की है कि इस्पात क्षेत्र के प्रोमोटर एवं डेवलपर के रूप में सरकार को चाहिए कि वे एक व्यापक योजना को लेकर आएं जिससे कि इस्पात क्षेत्र को न केवल आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में, बल्कि ग्रामीण आवास एवं पेयजल मिशन, एग्रो इंजीनियरिंग,

	सिंचाई आदि जैसे अन्य अनुषंगी क्षेत्रों व विशिष्ट इस्पात के अन्य क्षेत्रों में भी कैश करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। सिफारिश क्रम संख्या 1
<u>पर्याप्त निधियन की आवश्यकता के साथ अनुसंधान और विकास योजनाओं की महत्व और कार्यक्षेत्र पर जोर दिया गया।</u>	समिति ने नोट किया है कि अनुसंधान और विकास योजना के तहत वित्त वर्ष *2019-20* में *15* करोड़ रूपए के बजट आवंटन का पूरा-पूरा उपयोग हुआ है। हालांकि वित्त वर्ष *2020-21* में अनुमान से कम व्यय के कारण लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका; जैसाकि कोविड-*19* महामारी से इनकी गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। वित्त वर्ष *2021-22* में *(10.02.2022* तक*)* अनुसंधान और विकास योजना में व्यय *5.00* करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में *2.71* करोड़ रूपए है जो काफी कम है। हालांकि, मंत्रालय इस बात से आश्वस्त था कि उक्त वर्ष के दौरान *4.49* करोड़ रूपए के संशोधित लक्ष्य को हासिल किए जाने की संभावना है। इस योजना के लिए वर्ष *2022-23* का कुल परिव्यय *4.49* करोड़ रूपए रखा गया है जिसका उपयोग निश्चित रूप से चालू परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं के साथ अनुसंधान और विकास योजना के चिन्हित किए गए दबाववाले क्षेत्रों के अनुरूप नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए होगा। मंत्रालय की ओर से इस बात पर भी जोर दिया गया कि चूंकि अनुसंधान और विकास के लाभ को लेकर नए सिरे से दबाव है, इसलिए अगले वित्त वर्ष में यह आशा की जाती है कि आवंटित धन को बढ़ाकर *10* करोड़ रूपए किया जाएगा। इस संबंध में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि अनुसंधान और विकास संशोधन किसी उद्योग के उपलब्ध और संभावित संसाधनों में सुधार व उनके विस्तार की नींव होता है, इसलिए संशोधित अनुमान के स्तर पर

	अनुसंधान व विकास संबंधी गतिविधियों के निमित्त मंत्रालय को पर्याप्त धन का आवंटन किया जाना चाहिए जिससे कि आने वाले वर्षों में घरेलू इस्पात उद्योग की मांग को पूरा किया जा सके। जैसाकि विजन *2047* में नवाचार और अनुसंधान के माहौल को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए अपेक्षित जोर अब से उसी पर दिए जाने की जरूरत है जो इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए सुदृढ़ कोष की उपलब्धता में परिलक्षित होना चाहिए। सिफारिश क्रम संख्या 2
<u>इस्पात क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का आकलन।</u>	समिति ने नोट किया है कि तैयार इस्पात *(*गैर मिश्र धातु और मिश्र घातु*)* का उत्पादन वर्ष *2020* में हुए *92.231* मिलियन टन से बढ़कर वर्ष *2021* में *111.85* मिलियन टन *(*अनंतिम*)* हो गया है। इसमें सीपीएसई *(*एसएआईएल और आरआईएनएल*)* का शेयर *17.312* मिलियन टन का है जो देश में तैयार इस्पात के कुल उत्पादन का *15.47%* है। वर्ष *2021* के दौरान निजी क्षेत्र की इकाइयों *(*टीएसएल, ईएसएसएआर, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड*)* में *46.645* मिलियन टन *(41.70%)* और लघु उद्योगों *(*एसएसआई*)* समेत अन्य उत्पादन इकाइयों में *47.901* मिलियन टन *(42.82%)* इस्पात का उत्पादन हुआ है। समिति वर्ष *2020* के दौरान हुए कार्यनिष्पादन की सराहना करती है। जहां तक इस्पात के कुल उत्पादन का सवाल है, इस्पात मंत्रालय के सचिव ने बताया कि वर्ष *2021* के दौरान यह *118* मिलियन टन रहा है और उसी वर्ष के दौरान सेल *(*एसएआईएल*)* ने *17.32* मिलियन टन का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। कुल मिलाकर अच्छे कार्यनिष्पादन के बावजूद समिति ने यह नोट किया है कि भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत

	224.5 कि.ग्रा. की वैश्विक औसतन खपत की तुलना में प्रतिवर्ष लगभग 74 कि. ग्रा. काफी कम है। इसके अलावा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का आकलन प्रतिवर्ष 19 कि. ग्रा. किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। हालांकि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों और परिणामस्वरूप रेलवे, शिपिंग आदि जैसे बड़े प्रयोक्ता उद्योगों की गिरती मांग जैसी सभी विषमताओं के साथ इस्पात क्षेत्र के, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के पश्चात समिति का यह सुविचारित मत है कि सार्वजनिक इस्पात क्षेत्र का कार्यनिष्पादन इन सभी तरह की अड़चनों के बाद भी सराहनीय रहा है, फिर भी प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत और साथ ही ग्रामीण आवास, कृषि आदि जैसे अप्रयुक्त क्षेत्रों में, इसे बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कि देश में इस्पात की सतत मांग का सृजन किया जा सके और कच्चे इस्पात के साथ-साथ तैयार इस्पात के उत्पादन को वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति 230 कि. ग्रा. की खपत के वांछित स्तर तक लाया जा सके। समिति ने महसूस किया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी दोनों) इस्पात का एक बड़ा उपभोक्ता हो सकती है और चाहती है कि इस संबंध में सरकार की की-गई विशिष्ट कार्रवाई और साथ ही, प्रति व्यक्ति खपत व ग्रामीण खपत के मामले में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाए। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एनबीसीसी और इस तरह के स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श करें। सिफारिश क्रम संख्या 5
<u>समिति को विश्वास है कि 'स्पेशलिटी स्टील' के उत्पादन के लिए गुणवत्ता</u>	समिति यह नोट करते हुए प्रसन्न है कि सरकार द्वारा देश में इस्पात क्षेत्र के निष्पादन को प्रोत्साहित

<u>युक्त इस्पात नियंत्रण आदेशों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी इस्पात क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत पहलें 'इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर' बनने में देश की सहायता करेगी।</u>	करने, गति देने और विस्तार करने के लिए नीतिगत पहलों की शुरूआत है, अर्थात (एक) गुणवत्ता युक्त इस्पात नियंत्रण आदेशों के प्रावधान के माध्यम से उद्योग, उपयोगकर्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता को केवल गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू और आयात से घटिया / दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों को हटाना ; (दो) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 'स्पेशलिटी स्टील' के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और देश में 'स्पेशलिटी स्टील' के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिपक्व बनाने में मदद करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना :(तीन) देश के कोविड के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान इस्पात उद्योग को सुविधा देने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत कई छूट; (चार) इस्पात आयात पर गहन डेटा प्रदान करने, घरेलू विनिर्माण की योजना को विनियमित करने के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) संस्थापित करना, (पांच) डीएमआई एंड एसपी नीति (2017), जिसे 2019 और 2020 में संशोधित किया गया है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात की बिक्री बढ़ाने में सहायक रही है; संभावित निवेशकों की पहचान करने और स्थानीय और वैश्विक दोनों तरह के निवेश आदि की सुविधा के लिए इस्पात मंत्रालय में एक कार्यात्मक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) आदि जैसे सरकार द्वारा उठाए गए इन नीतिगत पहलों/उपायों की सराहना करते हुए, समिति को विश्वास है कि ये उपाय न केवल घरेलू इस्पात उद्योग में गति बनाए रखने में बल्कि भारत को विश्व में इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी

	स्थिति बनाए रखने में भी काफी सहायक होंगी। समिति चाहती है कि सरकार घरेलू इस्पात उद्योग संबंधी इन पहलों के प्रभाव/उपलब्धि का आकलन करें और उन्हें अवगत कराए। सिफारिश क्रम संख्या 9
<u>कंपनी को हो रहे लगातार घाटे को दूर करने के लिए सरकार/आरआईएनएल से कठोर उपाय करने की सिफारिश की गई।</u>	समिति पाती है कि *2014-15* में आरआईएनएल द्वारा बनाई गई कॉर्पोरेट योजना *2025* में चरणबद्ध तरीके से *2025* तक *16* मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, कंपनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यह भी बताया गया कि भारत सरकार की अपनी हिस्सेदारी के *100* प्रतिशत विनिवेश के निर्णय के मद्देनजर, आरआईएनएल किसी भी क्षमता वृद्धि पर विचार नहीं कर रहा है। कंपनी ने वर्ष *2021-22 (*जनवरी *22* तक) के लिए अपनी स्थापित क्षमता का *89%* उपयोग किया है। समिति ने नोट किया है कि आरआईएनएल ने पिछले दो वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्य हासिल किए हैं, यानी *2019-20* के दौरान *₹1400* करोड़ और *2020-21* के दौरान *₹534* करोड़ के परिव्यय के मुकाबले, वास्तविक उपयोग क्रमश*; ₹1408.19* करोड़ और *₹737.39* करोड़ था। यह भी देखा गया है कि जहां आरआईएनएल द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में कोई लागत वृद्धि नहीं हुई है, वहीं कोक ओवन बैटरी-*5 (*दिसंबर *20* में चालू) और फोर्ज्ड व्हील प्लांट (सितंबर *21* में लागू) जैसी परियोजनाओं के लिए *36* माह और सेंट्रल डिस्पैच यार्ड (अक्टूबर*'19* में लागू) के लिए *14* माह तक का बहुत अधिक समय लग रहा है। सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय/आरआईएनएल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि आरआईएनएल लागत में कटौती के उपायों और उन मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित

	करे जो लगातार घाटे को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। समिति आशा करती है कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ, आरआईएनएल को अपनी निधि के इष्टतम उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए और उत्पादन और बिक्री में रिकॉर्ड योग्य उपलब्धियां हासिल करना जारी रखना चाहिए। समिति चाहती है कि आरआईएनएल द्वारा खुद को पुनर्जीवित करने और आर्थिक सुधार हासिल करने के लिए किए गए अथक प्रयासों से उसे अवगत करवाया जाए। सिफारिश क्रम संख्या 15